आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Cooperative Department, Uttarakhand

E-Rickshaw Kalyan Yojana (Uttarakhand Cooperative)

उत्तराखंड की सहकारी योजना, जो शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने के इच्छुक लोगों और उद्यमियों को सहायता देती है।

क्या मिल सकता है

इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन, जिसमें कर्ज सहकारी बैंक के जरिए मिलता है। योजना के पृष्ठ पर राशि नहीं बताई गई है।

किसके लिए है

उत्तराखंड के 18 से 55 वर्ष के स्थायी निवासी, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जो सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो और उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक के पास इलेक्ट्रिक रिक्शा हो या वह योजना के तहत खरीदने को तैयार हो।
- ई-रिक्शा चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है।
- आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित न हो और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो।
- ई-रिक्शा सुरक्षा और पर्यावरण के मानकों के अनुसार होना चाहिए।
- योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, पर सरकारी मानदंड के आधार पर दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं।

दस्तावेज़

- केवाईसी दस्तावेज
- ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिकृत डीलर से वाहन का कोटेशन
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- क्रेडिट स्कोर
- कर्जदार और जमानती के लिए स्टांप पेपर
- एफडी और आरडी जैसी तुरंत भुनने वाली जमानत
- ई-रिक्शा को बैंक के नाम गिरवी रखना और बीमा

आवेदन कैसे करें

1. अधिकृत डीलर से ई-रिक्शा का कोटेशन लें।
2. संबंधित सहकारी बैंक में खाता खोलें।
3. कर्जदार और दोनों जमानती बैंक के नाममात्र सदस्य बनें।
4. ऊपर बताए गए दस्तावेज बैंक में जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cooperative.uk.gov.in/scheme/pradhan-mantri-gram-sadak-yojana/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-e-rickshaw-kalyan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।